



प्रेस नोट 26.08.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

**थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त (TOP-10) को
किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 25.08.23 को 01 वारण्टी अभियुक्त **विशाल उर्फ झींगर पुत्र मुल्कराज नि0मौ0 इन्द्रा कालोनी थाना कोतवाली नगर सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 752/18 धारा 399/402 भा0द0वि0 मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष नं0 -6, सहारनपुर नियत तिथि 29.08.23 को कारण गिरफ्तारी बताकर गिरफ्तार किया गया। वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विशाल उर्फ झींगर पुत्र मुल्कराज नि0मौ0 इन्द्रा कालोनी थाना को0नगर स0पुर (TOP-10 थाना को0नगर)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना को0नगर सहारनपुर
2. है0का0 438 दिनेश भाटी थाना को0नगर सहारनपुर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 59/17 धारा 399/402 भादवि कोतवाली नगर जनपद स0पुर
2. मु0अ0सं0 60/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली नगर जनपद स0पुर
3. मु0अ0सं0 96/19 धारा 147/148/452/427/323/506 भादवि थाना को0नगर स0पुर
4. मु0अ0सं0 584/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद स0पुर
5. मु0अ0सं0 183/20 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद स0पुर
6. निवारक कार्यवाही 33/20 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद स0पुर
7. मु0अ0सं0 40/21 धारा 380/457 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद स0पुर
8. मु0अ0सं0 175/21 धारा 380/457 भादवि थाना जनकपुरी जनपद स0पुर
9. मु0अ0सं0 104/21 धारा 420/468/471/411/414 भादवि व 41/102 CRPC थाना को0नगर स0पुर
10. मु0अ0सं0 107/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद स0पुर
11. मु0अ0सं0 108/21 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद स0पुर
12. नि0का0 – 39/21 धारा 3 यूपी गुण्डा थाना कोतवाली नगर जनपद स0पुर
13. मु0अ0सं0 328/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर स0पुर
14. मु0अ0सं0 329/23 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद स0पुर



दिनांक: 26-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे 30 लीटर कच्ची शराब खाम सहित शराब बनाने के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में कच्ची शराब बनाने वाले शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी गंगोह के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त काका पुत्र स्व0 विनोद उर्फ मेहनती निवासी ग्राम राजपुर लतीफपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर को 30 लीटर कच्ची शराब खाम व शराब बनाने के उपकरण (एक तसल्ला, ड्रम, मिट्टी का तसला जिसमें प्लास्टिक का पाइप) सहित राजपुर लतीफपुर वाल्मीकि बस्ती थाना गंगोह जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 237/2023 धारा 60(2) Ex. Act पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त काका ने पूछने पर बताया कि साहब मैं पैसो के लालच में शराब बनाकर बेचने का काम करता हूँ जिससे मुझे अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

काका पुत्र स्व0 विनोद उर्फ मेहनती निवासी ग्राम राजपुर लतीफपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

30 लीटर कच्ची शराब खाम मय शराब बनाने के उपकरण (एक तसल्ला, ड्रम, मिट्टी का तसला जिसमें प्लास्टिक का पाइप)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री सुभाष मरोठिया थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री संदीप सिंह, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री प्रवेज कुमार, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. का0 1917 सद्दाम, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
5. का0 95 विक्रान्त सरोहा, थाना गंगोह जिला सहारनपुर



दिनांक: 26-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त को किया
गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाँछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 26.08.23 को 01 वारन्टी अभियुक्त फरीदूदीन पुत्र हसीनूदीन निवासी गली न0 13 रामपुर चुंगी रुडकी को0रुडकी हरिद्वार उत्तराखण्ड हाल पता केयर आफ शौकत अली पुत्र अली अहमद निवासी मौ0 मालियान समादार चौक थाना कोतवाली नगर सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या- 3243/23 ,मु0अ0स0- 05/22 धारा 406/506/420 भादवि थाना कोतवाली नगर सहारनपुर नियत तिथि 28.08.23 को मुखबिर की सूचना पर समादार चौक से कारण गिरफ्तारी बताकर गिरफ्तार किया गया। वारन्टी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

फरीदूदीन पुत्र हसीनूदीन निवासी गली न0 13 रामपुर चुंगी रुडकी को0रुडकी हरिद्वार उत्तराखण्ड हाल पता केयर आफ शौकत अली पुत्र अली अहमद निवासी मौ0 मालियान समादार चौक थाना को0नगर स0पुर

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0- 05/22 धारा 406/506/420 भादवि थाना कोतवाली नगर स0पुर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

3. उ0नि0 श्री कवंरपाल सिंह थाना को0नगर सहारनपुर
4. का0 1065 अनुजपाल थाना को0नगर सहारनपुर



दिनांक: 26-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 220 ग्राम चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशा तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त **तालिब पुत्र राशिद निवासी मोहल्ला कस्सावान, कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को 62 फुटा रोड पीपल वाली मस्जिद के पास गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 220 ग्राम चरस बरामद। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 258/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट भादवि बनाम तालिब के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त **तालिब** ने पूछने पर बताया कि मैं यह चरस हरियाणा से बेचने के लिए लेकर आता हूँ तथा यहाँ पर अधिक रूपयो में बेचकर मुनाफा कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

तालिब पुत्र राशिद निवासी मोहल्ला कस्सावान, कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

220 ग्राम अवैध चरस बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी -

1. उ0नि0 श्री सोनू राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. कां0 1830 शुभम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 1983 शमशेर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का0 100 राहुल चौधरी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



दिनांक: 26-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से गैर प्रान्त की

शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में शराब की तस्करी करने वाले अपराधियों की धरपकड/गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 श्री देवेश कुमार द्वारा मय हमराही फोर्स के आज दिनांक-26.08.23 को अभियुक्त जितेन्द्र कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी अशोक विहार कालोनी थाना सरसावा जिला सहारनपुर को 08 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 – 247/2023 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जितेन्द्र कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी अशोक विहार कालोनी थाना सरसावा जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 1-08 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का
- 2-मोटरसाइकिल होण्डा साइन न0 HR 02 Y 8410

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री देवेश कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 639 मुकेश कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
3. है0का0 692 अजय राठी थाना सरसावा सहारनपुर

अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 158/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट सरसावा स0पुर
2. मु0अ0स0 158/22 धारा 414/465 भादवि एक्ट सरसावा स0पुर



दिनांक: 26-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल, सहारनपुर पुलिस द्वारा ढाबे के पास दो पक्षों विवाद पर जान से मारने की नियत से

फायरिंग करने वाले 02 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व 01 कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा 30.07.2023 को ढाबे पर दो पक्षों में विवाद पर आपस में एक दूसरे को जान से मारने की नियत से फायरिंग करने वाले वाँछित अभियुक्तगण **1. अभिषेक उर्फ अभिरावण पुत्र अनिल निवासी खतौली गुर्जर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर** **2. बन्टी पुत्र पुत्र संजय कुमार निवासी शरबत पुर थाना गागलहेडी सहारनपुर** को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 200/23 धारा 147/148/149/307/120बी/34 भादवि व 7 सीएल ए एक्ट को दिनांक 25.08.2023 लाखनौर तिराहा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अभिषेक उर्फ रावण के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय एक कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुआ। अवैध तमंचा व कारतूस की बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त अभिषेक उर्फ रावण के विरुद्ध धारा 3/25/27 ए एक्ट की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगणों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण से पूछताछ के दौरान बताया गया कि हमारे दोस्त संकित खुराना ने हमें फोन करके पंडित के ढाबे पर बुलाया था कि दीपक सेनी से मेरी कहा सुनी हो गयी है। आज आर पार की लड़ाई करनी है। अपने दोस्त के कहने पर हम लोग ढाबे पर पहुँचने वाले थे कि हम पर फायर हुआ तो हमने भी जवाबी फायरिंग की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अभिषेक उर्फ अभिरावण पुत्र अनिल निवासी खतौली गुर्जर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
2. बन्टी पुत्र पुत्र संजय कुमार निवासी शरबत पुर थाना गागलहेडी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 सतीश कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार थाना नांगल सहारनपुर
4. है0का0 1130 अनिल कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
5. है0का0 380 आजाद सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 तमंचा 315 बोर मय एक कारतूस जिन्दा 315 बोर

अभियुक्त अभिषेक उर्फ अभिरावण का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 200/23 धारा 147/148/149/307/120बी/34 भादवि व 7 सीएल ए एक्ट व 3/25/27 ए एक्ट
2. मु0अ0सं0 471/22 धारा 353/506 भादवि चालानी थाना बहादुराबाद
3. मु0अ0सं0 967/22 धारा 379 भादवि चालानी थाना लक्सर
4. मु0अ0सं0 1117/22 धारा 394 भादवि चालानी थाना भगवानपुर
5. मु0अ0सं0 587/22 धारा 147/323/504/भादवि चालानी थाना ऋषिकेश हरिद्वार
6. मु0अ0सं0 76/23 धारा 25 आर्म एक्ट चालानी थाना लक्सर
7. मु0अ0सं0 74/23 धारा 399/402 भादवि चालानी थाना लक्सर



दिनांक: 26/08/2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा कॉपीराइट अधिनियम से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से अशोक प्रकाशन की किताबे बरामद

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **अशोक प्रकाशन की राष्ट्रीय बाल भारती की फर्जी कुल 29 किताबे**

अवगत कराना है कि दिनांक 25.08.2023 को वादी श्री अखिल गुप्ता पुत्र श्री आनन्द कुमार नि0 प्रकाशन (रजि0) टीचर्स कालोनी, बुलन्दशहर द्वारा थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 377/23 धारा 420/467/468 भादवि व 63/65 कॉपीराइट अधिनियम बाबत पारस मल्होत्रा पुत्र श्री रवि मल्होत्रा व रवि मल्होत्रा पुत्र स्व0 जयचंद मल्होत्रा नि0 मल्होत्रा बुक डिपो रेलवे रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर द्वारा अशोक प्रकाशन की बाल भारती की नकली पुस्तके धोखा देने के उद्देश्य से कूटरचित, धोखाधडी करके अपार धन कमाने के उद्देश्य से बेचने व संगृह करने के सम्बन्ध मे पंजीकृत कराया था ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुऐ अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतू आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा दिनांक 25.08.2023 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पारस मल्होत्रा पुत्र श्री रवि मल्होत्रा नि0 मल्होत्रा बुक डिपो रेलवे रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर को थाना क्षेत्र सदर बाजार से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि मैं व मेरे पिता रवि मल्होत्रा रेलवे रोड पर मल्होत्रा बुक डिपो के नाम से दुकान चलाते है । जिसमें हम कॉम्पीटिशन/विद्यालय की पुस्तके/गाइड बेचते है । हम लालच में आ गये थे और अधिक पैसे कमाने के लालच में अशोक प्रकाशन की फर्जी किताबो को बेचने लगे ।

अभियुक्त का नाम पता:-

1. पारस मल्होत्रा पुत्र श्री रवि मल्होत्रा नि0 मल्होत्रा बुक डिपो रेलवे रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर.

बरामदगी का विवरण-

1. कक्षा 6 की 11 पुस्तके ,कक्षा 7 की 12 पुस्तके तथा कक्षा 8 की 06 पुस्तके बरामद



दिनांक: 26/08/2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा घर में चोरी का आरोपी 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का

माल बरामद-

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 जोड़ी कुण्डल पीली धातु
- 01 अगुंठी जनानी पीली धातु
- 01 मंगलसूत्र सफेद धातु
- 01 जोड़ी पाजेब सफेद धातु
- 5275/- रुपये नगद

अवगत कराना है कि दिनांक 08.08.2023 को वादिया श्रीमती सपना सक्सेना पत्नी अनिल नि0 बंसत विहार, एक्टेन्शन निकट स्टेट बैंक कालोनी, दिल्ली रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर द्वारा बाबत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादिया के घर का ताला तोड़कर अलमारी से आभूषण व नकदी चोरी कर जाने के सम्बन्ध में थाना उपस्थित आकर लिखित तहरीर दी, वादिया की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 344/23 धारा 454/380/411 भादवि के पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए चोरी के सफल अनवारण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर गठित पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 26.08.2023 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सलीम पुत्र जरीफ अहमद निवासी काजीपुरा नवादा रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को दिल्ली रोड पर स्टेट बैंक कालोनी के तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 जोड़ी कुण्डल पीली धातु 01 अगुंठी जनानी पीली धातु, 01 मंगलसूत्र सफेद धातु, 01 जोड़ी पाजेब सफेद धातु व 5275/- रुपये नगद बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त सलीम ने पूछताछ पर बताया गया कि करीब दो हप्ते पहले दिन के समय मैंने व मेरे साथी रोहित ने मोहल्ला बंसत विहार में एक मकान से सोने चादी के जेवर व नकद रुपये चोरी किये थे। चोरी किया गया माल व जेवर रोहित अपने साथ ले गया था तथा मुझसे कहा था कि कुछ दिन शान्त रहो, तेरा हिस्सा बाद में दे दुंगा कल रोहित ने मुझे एक जोड़ी कुंडल व एक अगुंठी जनानी सोनी की व एक मंगल सूत्र व एक जोड़ी पाजेब चादी की व कुछ रुपये देते हुये कहा कि फिलहाल इनसे अपना काम चला बाकि सब मामला शान्त होने पर बाद में दे दुगां। साहब मेने यह जैवर बैचने के लिए एक आदमी से बात की थी तथा उसे जेवर देने के लिए यहाँ बस अड्डे के पास बुलाया था उसी के इन्तजार में खड़ा था

अभियुक्त का नाम पता:-

1. सलीम पुत्र जरीफ अहमद निवासी काजीपुरा नवादा रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त सलीम का आपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0 494/19 धारा 379/411 भादवि थाना कुतुबशेर सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 269/21 धारा 420/465 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 01 जोडी कुण्डल पीली धातु
- 01 अगुंठी जनानी पीली धातु
- 01 मंगलसुत्र सफेद धातु
- 01 जोडी पाजेब सफेद धातु
- 5275 रूपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री विकास तोमर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
2. का0 1808 आशीष थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
3. का0 1434 कासिम थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 26-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा बाद मुठभेड 01 गौकश गिरफ्तार, कब्जे से गौकशी के
उपकरण, 01 अवैध तमंचा, 02 जिंदा, 01 खोखा कारतूस व 01 मोबाइल फोन बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा गौकशी की घटनाएं रोकने एवं गौकशी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं। जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार गौकशी करने वाले अपराधियों पर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना प्रभारी नरेन्द्र कुमार शर्मा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नवादा भजडू के जंगल में चार संदिग्ध व्यक्ति जो अपराधी प्रवृत्ति के लग रहे हैं किसी अपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं तथा उनके पास अवैध अस्लाह भी है इस सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम जंगल ग्राम नवादा भजडू आये तो बदमाशों ने पुलिस को अपनी ओर आते देखा तथा अपने आप को घिरा देखकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी, पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर अभियुक्त सलमान पुत्र पप्पू उर्फ शमशाद निवासी धलापडा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर हाल पता हबीबगढ रोड लडकियो के मदरसे के पास निकट वर्धमान कालौनी थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर को दौरान पुलिस मुठभेड गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त के तीन अन्य साथी जंगल में ईखों के खेतों से होकर भागने में सफल रहे। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त से गौकशी के उपकरण, एक तमंचा 315 बोर मय दो जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस एवं एक मोबाइल फोन वीवो बरामद हुआ। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 251/23 धारा 307/34 भा0द0वि0 व 3/25/27 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को विधिक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त सलमान द्वारा पूछने पर बताया गया कि मेरे ताऊ का लडका व दो अन्य साथी हम चारों छुपकर आवारा गौवंशों की दिन में रैकी करके रात्रि में मौका पाकर गौकशी कर उनके मीट को मुस्लिम बस्ती में विक्री कर देते हैं। हमने सेन्टो कार न0 यू0पी0 16 एच07070 कार की पिछली सीट निकाल रखी है। हम उसी से ही गौकशी कर मुस्लिम बस्तियों में मीट बिक्री करते हैं। दिनांक 23/24.7.2023 की रात्रि को हम चारों मल्हीपुर से एक गाय गौकशी करने के लिये ले जा रहे थे पुलिस को देखकर हम गाडी छोडकर अपने काटने के औजार लेकर भाग गये थे। मैं इनके साथ तीन चार महीने से काम कर रहा हू लेकिन मैं अभी तक जेल नहीं गया हू। मेरे साथ ही ये तीनों कई बार गौकशी व अन्य मुकदमों में जेल जा चुके हैं तथा हिस्ट्रीशीटर हैं। तथा काफी शातिर हैं। हमारी गाडी सेन्ट्रो पुलिस ने पकड ली तो हम लोग जंगल में चोरी छिपे आवारा गौवंशों को निशाना बनाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाकर काटकर उसके मीट को पैदल ही छिपते छिपाते जंगल के रास्ते मुस्लिम बस्तियों में ले जाकर बेच देते हैं। आज हम चारों यहा पर आवारा गौवंश को काटकर उसके मीट को बेचने के लिये मुस्लिम बस्तियों में ले जाते लेकिन पुलिस ने हमें पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सलमान पुत्र पप्पू उर्फ शमशादनिवासी धलापडा थाना सरसावा जिला सहारनपुर हाल पता हबीबगढ रोड लडकियोके मदरसे के पास निकट वर्धमान कालौनी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 तमंचा 315 बोर
- दो जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस 315 बोर
- एक मोबाईल फोन वीवो
- गौकशी के उपकरण

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 217/23 धारा 3/5क/8 गौवध अधि0व 11 पशू क्रूरता अधि0 थाना रामपुर मनिहारन ।
2. मु0अ0स0 251/23 धारा 307/34 भा0द0वि0 व 3/25/27 शस्त्र अधि0 थाना रामपुर मनिहारन ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. व0उ0नि0 श्री कपिल देव थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर ।
2. उप0निरी0 अमित कुमार, थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर ।
3. उप0निरी0 अरविन्द कुमार थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर ।
4. का0 1854 आशीष कुमार थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर ।
5. हैड का0 492 हरेन्द्र सिंह थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर ।



दिनांक: 26-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व में कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 26.08.2023 को एक वारंटी अभियुक्त **कासिफ पुत्र कुतबुद्दीन निवासी मौहल्ला खम्बरपुरा रांघडो का पुल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं० 4926/18 मु०अ०सं० 257/10 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट चालानी थाना सरसावा (मा०न्या० अपर सिविल जज जू०डि० चतुर्थ कोर्ट नं० 33 सहारनपुर) को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। वारंटी अभियुक्त कासिफ को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता:-

कासिफ पुत्र कुतबुद्दीन निवासी मौहल्ला खम्बरपुरा रांघडो का पुल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० अनुज कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का० 1772 पवित्र कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 26-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल अवैध देशी शराब व 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वान्छित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण आसिफ उर्फ पीप्पा पुत्र वकील निवासी डिपो वाली गली सिराज कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर करीब 22 वर्ष व मौ0 ताज पुत्र शफीक निवासी मिददे वाली गली खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर उम्र 20 वर्ष को 12 बोतल अवैध देशी शराब मस्ती माल्टा हरियाणा मार्का के साथ पीपल वाली मस्जिद के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 259/23 धारा 63 आबकारी एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण उपरोक्त को समय से माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि साहब हम पढे लिखे नहीं हैं जिस कारण अपने खर्चे पूरे करने के लिए हरियाणा से शराब सस्ते दामों में लेकर आते हैं तथा यहाँ मुनाफे पर बेचकर अपना खर्च चलाते हैं तथा लोगों को डराने के लिए अपने पास चाकू रख लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. आसिफ उर्फ पीपपा पुत्र वकील निवासी डिपो वाली गली सिराज कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर।
2. मौ0 ताज पुत्र शफीक निवासी मिददे वाली गली खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

12 बोतल अवैध देशी शराब माल्टा मसालेदार हरियाणा मार्का
01 नाजायज चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

1. उ0नि0 श्री सोनू राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. कां0 1460 अंकित थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. कां0 1830 शुभम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।